



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568]
No. 568]नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 5, 2012/कार्तिक 14, 1934
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 5, 2012/KARTIKA 14, 1934कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 810(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 38(अ), तारीख 19 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (4) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(4) श्री बी.एस. सुंदरेसन —सदस्य”
मुख्य महाप्रबंधक,
निगम वित्त विभाग,
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड,
सेबी भवन, प्लॉट सं. सी 4, ‘जी’ ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला परिसर,
बान्द्रा (पू), मुम्बई - 400051

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/15/2010-पी-1]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा. का. नि. 38(अ), तारीख 19 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्या सा.का.नि. 684(अ), तारीख 16 सितम्बर, 2011, सा.का.नि. 441(अ), तारीख 12 जून, 2012, और संख्यांक सा.का.नि. 486(अ), तारीख 21 जून, 2012 द्वारा उनमें पश्चात्कर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2012

G.S.R. 810(E).— In exercise of the powers conferred by Section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Ministry of Corporate Affairs number G. S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011; namely:—

2. In the said notification, for serial number (4) and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:

“(4) Shri V.S. Sundaresan, —Member”
Chief General Manager,
Corporation Finance Department,
Securities and Exchange Board of India
SEBI Bhavan, Plot No. C4, ‘G’ Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 051

3. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/15/2010-PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note:— The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 38(E), dated the 19th January, 2011 and subsequently amended vide number G.S.R. 684(E), dated the 16th September, 2011, G.S.R. 441(E), dated the 12th June, 2012 and number G.S.R. 486(E), dated the 21st June, 2012.